विचार बिन्दु

प्राणी कर्म का त्याग नहीं कर सकता, कर्मफल का त्याग ही त्याग है।
–भगवान कृष्ण

नई भुगतान प्रणाली मनरेगा श्रमिकों के लिए आफत बनी

इस साल के शुरू में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा में सभी मजदूरी भुगतानों के लिए 'आधार' आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) के उपयोग को अनिवार्य करते हुए जब पत्र जारी किया उस दिन, केवल 43 प्रतिशत मनरेगा श्रमिक इस प्रणाली में भुगतान के लिए पात्र पाये गए। भले ही आधिकारिक आदेश जनवरी में आया, लेकिन वित्त वर्ष की शुरुआत से ही राज्यों पर 'आधार सीडिंग' को पूरा करने का भारी दबाव था। जैसे ही केन्द्रीय मंत्रालय ने राज्य सरकारों को 100 प्रतिशत आधार सीडिंग और प्रमाणीकरण सुनिश्चित करने के लिए दबाव डाला, तो मनरेगा की सूचियों में से नामों के विलोपन में बढ़ोतरी शुरू हो गई। लक्ष्य के दबाव और आधार प्रक्रिया पर किसी भी प्रशिक्षण या समझ की कमी के चलते स्थानीय अफसरों ने एक आसान तरीका खोज लिया कि इस भुगतान प्रणाली में तकनीकी रूप से अटक रहे श्रमिकों को मनरेगा रोस्टर से हटा दिया जाए। उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना मजदूरों को हटाना स्थानीय अधिकारियों को आसान इसलिए लगा क्योंकि आधार आधारित हस्तक्षेप अत्यंत मुश्किल थे। आधार सीडिंग से यह समस्या शुरू हुई। श्रमिकों से अपेक्षा की गई कि वे अपने जॉब कार्ड से लिंक करने के लिए अपना 'आधार' विवरण जमा करावें। हालांकि श्रमिकों के पास अपने आधार विवरण को अपने जॉब कार्ड में जोड़ने का पहले भी विकल्प था लेकिन यह अनिवार्य नहीं था। लेकिन अब, मनरेगा का लाभ उठाने के लिए श्रमिकों को आधार कार्ड की आवश्यकता कर दी गई। पिछली 15 अगस्त तक देश भर में 6 करोड़ से ज्यादा श्रमिक जो मनरेगा के तहत लंबे समय से काम कर रहे थे, आधार सीडिंग का काम पूरा नहीं कर पाये। आधार प्रमाणीकरण में जॉब कार्ड में पंजीकृत श्रमिकों का विवरण, जिसमें नाम, लिंग और जनसांख्यिकीय विवरण शामिल होता है, का स्वचालित सत्यापन होता है। इस प्रक्रिया में आधार डेटाबेस में उनके विवरण के हिसाब से यदि कोई विसंगति पाई जाती है, तो प्रमाणीकरण विफल हो जाता है। किसी श्रमिक का प्रमाणीकरण सिर्फ इसलिए विफल हो सकता है कि जॉब कार्ड पर उसके नाम का हिज्जे आधार डेटाबेस से से हल्का सा अलग हो। ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में, नामकरण परंपराओं को अक्सर आईडी में समान रूप से पकड़ना मुश्किल हो सकता है, जिससे बेमेल नाम, यहां तक कि लिंग के मामले भी असामान्य नहीं होते हैं। यह विसंगतियां इसलिए भी हो जाती है क्योंकि अभियान चला कर नामांकन किये जाते हैं जहां जल्दबाजी और काम के दबाव में खमियां रह जाती है। आधार नामांकन शिविरों में जहां ग्रामीण नागरिकों को सही और समान विवरण सुनिश्चित किए बिना सरकारी कर्मचारियों द्वारा पंजीकृत कर लिया जाना आम बात रही है।

पहले मनरेगा मजदूरी भुगतान खाता-आधारित होता था जैसे, एनईएफटी ट्रांसफर या आधार-आधारित। अब एबीपीएस अनिवार्य किया गया है। आधार आधारित भुगतान प्रणाली में भुगतान के लिए वित्तीय पते के रूप में केवल आधार संख्या का उपयोग किया जाता है। इसके लिए, तीन लिंकेज पूरे होने चाहिए: सबसे पहले तो श्रमिक का आधार नंबर उसके जॉब कार्ड से जुड़ा होना चाहिए। दूसरा, उसका आधार ई केवाईसी के माध्यम से उसके बैंक खाते से जुड़ा होना चाहिए। तीसरा, श्रमिक का आधार नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) द्वारा बनाए गए 'मैपर' (या डेटाबेस) में उसके बैंक की संस्थागत पहचान संख्या (आईआईएन) से जुड़ा होना चाहिए। एनपीसीआई केंद्र सरकार के भुगतान समाशोधन गृह के रूप में कार्य करता है। एक ही व्यक्ति के कई खातों के मामले में, एबीपीएस स्वचालित रूप से नवीनतम एनपीसीआई-मैप्ड खाते में पैसा भेजता है। यदि ये सभी लिंक पूरे हो जाते हैं तभी किसी श्रमिक का भुगतान संसाधित किया जा सकता है। भले ही किसी श्रमिक ने मनरेगा के तहत काम किया हो, और यदि वह एबीपीएस के लिए, पात्र नहीं है तो उसे मजदूरी नहीं मिल सकती। चूंकि फरवरी 2023 में निर्धारित शत प्रतिशत यह पात्रता लक्ष्य पाने में राज्य असमर्थ रहे इसलिए मंत्रालय ने इस प्रणाली को लागू करने की समय सीमा को कई बार आगे बढ़ाया है। काफी सार्वजनिक दबाव के बाद, वर्तमान में, मंत्रालय ने दोनों भुगतान प्रणालियों के उपयोग की अनुमति दी हुई है। मगर सरकार यह प्रणाली लागू करने पर कृतसंकल्प है। उसका कहना है कि इससे मस्टररोल का फर्जीवाड़ा रुकेगा। लेकिन नई प्रणाली की प्रक्रिया में जिस प्रकार से श्रमिकों के नाम विलोपित किये जा रहे हैं उस पर मानवाधिकार समूहों की जायज आपत्ति है। उनका कहना है कि अधिकांश ग्रामीण श्रमिकों को अपने नाम के विलोपन के बारे में पता भी नहीं है, और न विलोपन को प्रचारित करने की प्रक्रिया की स्पष्ट रूप से पालना की जा रही है। यदि श्रमिकों को पता ही नहीं है कि उन्हें मनरेगा डेटाबेस से हटा दिया गया है, तो उसकी शिकायत होने और समाधान की उम्मीद कैसे हो सकती है? एमआईएस नाम हटाने के 13 कारणों को सूचीबद्ध करता है जिसमें 'काम करने की अनिच्छा,' 'फर्जी आवेदक,' 'व्यक्ति की मृत्यु हो गई,' और पंचायत में मौजूद नहीं है शामिल हैं। लेकिन अजीब स्थिति यह है कि मनरेगा में किसी श्रमिक या जॉब कार्ड को हटाने के संभावित कारणों का कोई उल्लेख ही नहीं होता है। न तो मनरेगा और न ही एएमसी गलत तरीके से हटाए जाने का उल्लेख करता है, और परिणामस्वरूप ऐसे मामले को बहाल करने के लिए कोई एसओपी प्रक्रिया भी नहीं है। इससे स्थानीय अधिकारियों के लिए बहुत भ्रम की स्थिति बनी हुई है और श्रमिक के नाम की बहाली प्रक्रिया में जमीनी स्तर पर महत्वपूर्ण विसंगतियां सामने आ रही हैं।

सरकार श्रमिकों के नाम गलत तरीके से हटाए जाने की कोई भरपाई भी नहीं करेगी। उन उपायों को लागू करते हए अफसरों की निगाह में आमजन नहीं होता है। डिजिटल उपाय आकर्षक लगते हैं, किन्तु इनके साथ में यह महत्वपूर्ण है कि तकनीकी हस्तक्षेपों के लिए परामर्शात्मक, उचित रूप से संचालित और श्रमिकों को ध्यान में रखते हुए नीति बनाई जानी चाहिए। ऐसा तब हो सकता है जब प्रशासन तंत्र संवेदनशील हो।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जून में एक बयान भी जारी किया जिसमें स्पष्ट किया गया कि "जॉब कार्ड को इस आधार पर नहीं हटाया जा सकता है कि कर्मचारी एबीपीएस के लिए पात्र नहीं है।" वास्तव में यह एक प्रकार की स्वीकारोक्ति ही थी कि नई व्यवस्था में परेशानी है। अकादमिक अध्ययनकर्ताओं ने अपने व्यापक सर्वे में यह पाया है कि मनरेगा के श्रमिकों के नामों का 63 प्रतिशत तक विलोपन गलत था। उनके निष्कर्षों से पता चलता है कि हटाए गए 5 करोड़ श्रमिकों में से एक बड़ी संख्या को गलत तरीके से हटाए जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने पाया कि बड़ी संख्या में डेटा एंट्री ऑपरेटरों और स्थानीय बैंक अधिकारियों को एबीपीएस या प्रमाणीकरण के लिए आवश्यक लिंकेज और प्रक्रियाओं की बहुत कम समझ है। जब श्रमिक ब्लॉक/बैंक अधिकारियों से संपर्क करते हैं तो उन्हें अक्सर गलत जानकारी दी जाती है। जैसे उन्हें अपने केवाईसी को फिर से करने के लिए कहा जाता है जबकि वास्तव में यह एनपीसीआई मैपिंग है जो पूरी नहीं हुई है। यह सुनिश्चित करने के लिए राज्यों पर कोई स्पष्ट ज़िम्मेदारी नहीं है कि किसी भी श्रमिक को छोड़ा न जाए इसलिए श्रमिकों को अपने अधिकार के लिए दर-दर भटकना पड़ता है। मंत्रालय का दावा है कि आधार प्रमाणीकरण नकली या फर्जी श्रमिकों की पहचान में मदद करता है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि मनरेगा कार्यक्रम भ्रष्टाचार से जबरदस्त ग्रस्त रहा है। सीएजी की रिपोर्टों ने बताया है कि ठेकेदार नकली जॉब कार्ड का उपयोग तथा श्रमिकों को आंशिक भुगतान कर मशीनों से काम करवा लेते हैं। मंत्रालय द्वारा आधार सीडिंग/प्रमाणीकरण को उचित ठहराने पर कोई डेटा जारी नहीं किया गया है। दूसरी ओर, इस बात के भी महत्वपूर्ण प्रमाण मिले हैं कि नई प्रक्रिया में वास्तविक श्रमिकजो अपनी आजीविका के लिए मनरेगा पर निर्भर हैं बड़ी मुश्किल में आ गये हैं।

किसी भी हस्तक्षेप को न केवल उसके इरादे और उसके आदर्श रूप से आंका जाना चाहिए, बल्कि यह भी देखा जाना चाहिए कि वह जमीनी स्तर पर कैसे काम करता है और इस मामले में मनरेगा श्रमिक खुद कैसा अनुभव करते हैं उसे देखना चाहिए। आधार सीडिंग/प्रमाणीकरण और एबीपीएस को 'अल्टीमेटम विधि' का उपयोग करके लक्ष्य दिए गए जिसके कारण वित्त वर्ष 2022-23 में जॉब कार्ड विलोपन में 247 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हालांकि यह कहना संभव नहीं है कि इनमें से कितने विलोपन वास्तविक या 'नकली' श्रमिकों के हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों का अंदेशा है कि इस प्रक्रिया में बड़ी संख्या में वास्तविक, कमजोर श्रमिक काम और आजीविका के अधिकार से वंचित हो रहे हैं। प्रमाणीकरण और एबीपीएस दोनों जटिल मुद्दों को जन्म देते हैं जिन्हें हल करना बहुत कठिन होता है। इन मुद्दों को वास्तव में हल करना श्रमिकों के लिए कितना मंहगा पड़ता है इसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। एक मनरेगा मजदूर के लिए काम छोड़ कर कई दिनों तक बैंक, ब्लॉक से जिले तक चक्कर लगाने पड़े तो उसका दर्द समझा जाना चाहिए। सच तो यह है कि मजदूरी के भुगतान के लिए आधार को जोड़ने का प्रयास बहुत ही समस्याग्रस्त तरीके से किया गया लगता है। बैंक के बुनियादी ढांचे, नेटवर्क कवरेज और तकनीकी प्रक्रियाओं को मजबूत करने और उनके लिए सरकारी अमले के प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय, सरकार का दृष्टिकोण जल्दबाजी में तकनीकी हस्तक्षेप अपनाने का रहा है। सरकार श्रमिकों के नाम गलत तरीके से हटाए जाने की कोई भरपाई भी नहीं करेगी। उन उपायों को लागू करते हए अफसरों की निगाह में आमजन नहीं होता है। डिजिटल उपाय आकर्षक लगते हैं, किन्तु इनके साथ में यह महत्वपूर्ण है कि तकनीकी हस्तक्षेपों के लिए परामर्शात्मक, उचित रूप से संचालित और श्रमिकों को ध्यान में रखते हुए नीति बनाई जानी चाहिए। ऐसा तब हो सकता है जब प्रशासन तंत्र संवेदनशील हो।

–अतिथि संपादक,
राजेन्द्र बोड़ा
(वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)

एक अग्निवीर की आत्मा की पुकार

महावीर सिंह

हे भारत की भग्यविधाता राजनीतिक दलों के बादशाहो, सुनो एक अग्नि वीर की आत्मा की पुकार हे देश के भाग्यविधाताओं! अगले कुछ महीनों में आप लोगों के बीच बादशाहत के लिए कुछ छोटे और फिर एक बड़ा दंगल होने वाला है। इस दौरान, आप हर बार की भांति, जनता को लुभाने व भ्रमित करने के लिए, तरह तरह के सच्चे-झूठ वादों वाले पोथे (जिन्हें आप शायद घोषणा पत्र कहते हो) जारी करोगे।

मैं एक शाहिद अग्निवीर की आत्मा (जिसे तुम लोग ऐसा नहीं मानते, क्योंकि तुम में से अधिकांश का अग्निवीर परिवारों से कोई वास्ता नहीं) आपसे कुछ निवेदन कर रही हूं।

हे बादशाहों ::--आप लोग 2, ढाई साल पहले, भारतीय सेना में नियमित सैनिक भर्ती के स्थान पर अग्नि वीर योजना लाए। योजना की घोषणा के साथ ही ग्रामीण भारत की जनता (मुख्यत: पारम्परिक रूप से सेना में जाने वाली पृष्ठ भूमि की कृषक जातियों में से) और विशेषत: युवकों ने इसका विरोध किया।

हे राजनीतिक दलों के शंहशाहों:-

ग्रामीण भारत के लोगों में लिए सेना में भर्ती होकर देश सेवा करना गर्व की बात समझी जाती रही है। सैनिकों और उनके परिवारों को समाज भी सम्मान के साथ देखता है। इसके अतिरिक्त सेना में भर्ती एक स्थायी, सम्मानित रोजगार तो है ही। सेवा निवर्ती पर सैनिकों को पेंशन व कई सुविधाएं मिलती है। विभिन्न सरकारी सेवाओं में भर्ती के लिए उनके लिए आरक्षण के प्रावधान रखे गए है।

यह बात अलग है कि आप लोगों की जमात में से ही कुछ लोग इसे केवल पैसे लेकर सेवा करना मात्र मानते हैं।

आप की जमात के लोगों के बाल-बच्चों, नाते-रिश्तेदारों में से सेना में, कोई भूला-भटका ही जाता है। जाता भी है तो अफसर बन कर जाता है, जिन पर अग्नि वीर योजना जैसे प्रावधान नही लगते। आपकी जमात वालों में सामान्यत: सेना के प्रति कोई आकर्षण नहीं। व्हाट्सएप्प, फेसबुक आदि पर सेना के गौरव, सम्मान आदि पर पोस्ट्स लिख कर वही वही लेना अलग बात है।

आपकी जमात के कर्मवीरों को, आप लोगों के रुतबे के कारण, अग्निवीर बनने की आवश्यकता ही नहीं। मजबूरी में जाना ही पड़े तो ओर बहुत से नामों की सेनाए बनी है, जहां सेवा देकर वे आप की जमात में स्थान पाने की योग्यता अर्जित कर लेते हैं।

अग्नि वीर योजना में नियमित पेंशन के स्थान पर सेवा निवृति पर एक मुश्त राशि का प्रावधान व विभिन्न अर्धसैनिक बलों में सेवा से मुक्त अग्निवीरों की भर्ती के लिए कुछ आरक्षण का प्रावधान भी आवश्य किया है किन्तु यह अपर्याप्त हैं।

हे वर्तमान व दंगल के बाद होने वाले बादशाहों एक शाहिद अग्निवीर की आत्मा का निवेदन है::-

आपने, ग्रामीण भारत के शिक्षित नवयुवकों के लिए बिना सम्मानजनक नए रोजगार सृजित किए अग्नि वीर योजना लागू कर दी। इस पर पुनर्विचार कर इसे निरस्त करने का वादा अपने लोक लुभाने वाले घोषणापत्र में करें।

हे देश के भाग्यविधाताओं, हम अग्निवीर भी शस्त्र उठा कर, नियमित सैनिक साथियों के साथ, कंधा से कंधा मिलाकर सीमाओं पर देश की रक्षा करते है। आप ऐसा मानते है या नहीं?

मानते है तो फिर, आप हमें भी हमारे नियमित साथियों की तरह शाहिद का दर्जा देने में क्यों शर्माते है? आदेश जारी करें कि हमें भी शहीद का दर्जा व सम्मान मिले और पीछे छूटे हमारे माता-पिता, पत्नी, बच्चों को वही सुविधाएं मिले जो नियमित सैनिकों को मिलती है। यदि आपका या आपके सलाहकारों का मिथ्या अहंकार,यह मानने में बाधक है तो उसका त्याग करें। वर्तमान में जो ऐसे मामले है, उनको यह दर्जा-सुविधाएं देने का हुक्म जारी करें। चुनावो वाले लोक लुभावन पोथे में यह वचन दें कि ऐसे अग्निवीर जिन्होंने शहादत दी है उन्हें वह सम्मान, दर्ज, सुविधाएं दी जाएंगी।

यदि आप और सलाहकार लोग अग्निवीर योजना समाप्त करने में शर्मिंदगी महसूस करते हों तो, चुनाव वाले लोकलुभावन पोथे में यह अश्वदन दें कि--

(1) अग्निवीर 8/10 साल सेना में सेवा देंगे, इसके बाद उन्हें नियमित सैनिक को 15 साल की सेवा के बाद मिल सकने वाली पेंशन के अनुपात में पेंशन देकर सेवनिवृत किया जाएगा।

(2) सेवानिवृति पर इच्छुक अग्निवीरों को, मेडीकली फिट की शर्त पर तथा अग्निवीर भर्ती के समय की परीक्षाओं की पुरानी मेरिट के आधार पर ही, राज्यों व केंद्र के अर्धसैनिक बलों में कम से कम 50% रिक्तियों के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।

(3) इसके अतिरिक्त सेवानिवर्ती के उपरांत अन्य सेवानिवृत सैनिकों की भांति ही उन्हें चिकित्सा, कैंटीन व अन्य इस प्रकार की सारी सुविधाएं मिलेंगी।

(4) राज्यो की सरकारों द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को जो भी अन्य सुविधाएं, जैसे कृषि व रिहायसी भूखंड आवंटन आदि देने के प्रावधान किए जाते है, वे सारी सुविधाएं सेवा निवृत्त अग्निवीरों को भी मिलेंगी।

अग्निवीर आत्मा का जनता से निवेदन है कि बादशाहत चाहने वाले ऐसा करने में दांए-बांए करें उन्हें वोट के जरिए उचित सबक सिखाएं।

–महावीर सिंह, पूर्व आईएएस

जैसलमेर से सेना, नौसेना और वायु सेना की त्रि-शक्ति अभियान रैली शुरू

अभियान के दौरान सदस्यों द्वारा मोटरसाइकिल, 44 जीप रैली, कैमल सफारी, माइक्रोलाइट फ्लाइंग, इंदिरा गांधी नहर में राफ्टिंग और साइकिलिंग की जायेगी

जैसलमेर, (निसं)। थार रेगिस्तान के जैसलमेर वायु सेना स्टेशन से मंगलवार को सशस्त्र बलों की साहसिकता की संयुक्त भावना को उजागर करने के लिए राजस्थान और गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए अद्वितीय बहुआयामी अभियान शुरु किया गया। अभियान में महिला अधिकारियों और अग्निवीरों सहित सेना, नौसेना और वायु सेना की तीनों सेवाओं के 40 से अधिक सदस्य शामिल हैं। भारतीय सेना के सुदर्शन चक्रकोर के तत्वावधान में त्रि-शक्ति बहुआयामी अभियान को जैसलमेर वायु सेना स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

- **प्रतिभागी राजस्थान की सीमा को पार करेंगे और ऐतिहासिक बाड़मेर, मुनाबाव, लोंगेवाला, तनोट, रामगढ़, किशनगढ़ और भारेवाला से गुजरेंगे**

थार रेगिस्तान के जैसलमेर वायु सेना स्टेशन से त्रि-शक्ति बहुआयामी अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

अभियान के दौरान सदस्यों द्वारा मोटरसाइकिल, 44 जीप रैली, कैमल सफारी, माइक्रोलाइट फ्लाइंग, इंदिरा गांधी नहर में राफ्टिंग और साइकिलिंग की जायेगी। प्रतिभागी जैसलमेर से कच्छ के रण के उत्तरी किनारे तक यात्रा करेंगे, राजस्थान की सीमा को पार करेंगे और ऐतिहासिक बाड़मेर, मुनाबाव, लोंगेवाला, तनोट, रामगढ़, किशनगढ़ और भारेवाला से गुजरेंगे। अभियान में सैनिक सशस्त्र बलों के राष्ट्र निर्माण प्रयासों पर भी प्रकाश डालेंगे। वे रास्ते में स्थानीय आबादी से मिलेंगे और समुदायों के साथ जुड़ेंगे अभियान के सदस्य कई स्थानों पर वृक्षारोपण करके पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देंगे, हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने, महिला सशक्तीकरण की आवश्यकता पर प्रकाश डालेंगे, विभिन्न युवा सहभागिता गतिविधियाँ शुरू करने और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए गतिविधियां करेंगे। युद्ध नायकों और युद्ध के दिग्गजों और वीरता पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत करेंगे। अभियान दल रास्ते में पड़ने वाले गांवों में चिकित्सा शिविर भी आयोजित करेगा और सीमावर्ती क्षेत्रों के एक गांव में ताजे पानी का बोरवेल भी उपलब्ध कराएगा। अभियान का समापन 23 अक्टूबर को जैसलमेर युद्ध स्मारक पर होगा।

शहीद मनोहरसिंह की सैन्य सम्मान से अंतेष्ठि

मासूम बेटे व बेटी ने शहीद पिता को अंतिम विदाई दी

चूरू, (कासं)। जिले के गांव जसरासर के लाडले आईटीबीपी में तैनात हवलदार मनोहरसिंह राठौड़ मदुरेई में रविवार को शहीद हो गये। जिनका पार्थिव शरीर मंगलवार को उनके पैतृक गांव जसरासर पहुंचा। जहां सैन्य सम्मान और भारत माता के जयघोष के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। इससे पूर्व मंगलवार सुबह शहीद मनोहरसिंह राठौड़ की तिरंगे में लिपटी पार्थिव देह पंखा सर्किल पहुंची। पंखा सर्किल से जसरासर तक शहीद राठौड़ की शौर्य तिरंगा यात्रा निकाली गई।

- **शहीद राठौड़ की शौर्य तिरंगा यात्रा निकाली**

तिरंगा यात्रा के साथ राष्ट्रीय ध्वज में लिपटे शहीद राठौड़ के पार्थिव देह और शहीद मनोहरसिंह राठौड अमर रहे और भारत माता के जयकारों से पूरा गांव गुंजायमान हो गया। जैसे ही मनोहरसिंह राठौड़ का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा तो पत्नी, बच्चे व माता पिता फफक पड़े। पत्नी ने अपने पति को देखा तो वह स्तब्ध रह गई। आंखों में बह रही अश्रु धारा के बीच पत्नी लक्ष्मी कंवर ने अपने पति के अंतिम दर्शन किये। वहीं मासूम बेटे आदित्य व बेटी प्रिंसी ने अपने शहीद पिता को अंतिम विदाई दी। घर से शुरू हुई अंतिम यात्रा में आसपास के गांव के लोगों ने लाडले जवान की अमरता के साथ ही मां भारती का जयघोष कर उनका सम्मान किया। गांव की मोक्ष भूमि में आईटीबीपी की टुकड़ी के जवानों ने शहीद राठौड़ को अंतिम सलामी दी। जहां पांच वर्षीय बेटे आदित्य ने पिता को मुखाग्नि दी।

अस्पताल के आगे इकट्ठा पानी जी का जंजाल बना

चूरू, (कासं)। चूरू में राजकीय डेडराज भरतिया अस्पताल के आगे एकत्रित बारिश का पानी आमजन के लिए जी का जंजाल बन गया है जबकि प्रशासन की आंखें ही नहीं खुल रही है।

मिली जानकारी के अनुसार सोमवार शाम हुई बारिश के बाद शहर में निकासी के अभाव में जगह-जगह पानी एकत्रित हो गया और निचले हिस्से तो जलमग्न हो गए। यह दृश्य शहर में हमेशा बारिश के बाद देखने को मिल जाता हैं, क्योंकि पूरे शहर में पानी निकासी की समस्या के कारण यह स्थिति होती है। शहर के लोहिया कॉलेज, डीबी अस्पताल के सामने, नये बस स्टैंड के पास, आई हॉस्पिटल के पास, जौहरी सागर क्षेत्र, चांदनी चौक क्षेत्र सहित शहर के अधिकांश इलाकों में पानी जमा हो जाता है। जिससे वाहन चालकों व राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और तो और डीबी अस्पताल के सामने जमा गंदे पानी से रोगियों और परिजनों को आने-जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने बताया कि यदि यही स्थिति रही तो यहां आने वाले रोगियों की जान जोखिम में पड़ सकती है।

परिवहन कार्यालय में आचार संहिता का उल्लंघन

सुजानगढ़, (निसं)। जिला परिवहन कार्यालय में खुलेआम आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जिला परिवहन कार्यालय के प्रवेश द्वार पर तत्कालीन मंत्री युनूस खान व विरेन्द्र चौधरी के उद्घाटन, शिलान्यास की अनावरण पट्टिका बिना ढके पड़ी है। जिस कारण आचार संहित का खुलेआम उल्लघंन हो रहा है। दूसरी और मंगलवार को विधानसभा चुनावों को लेकर आचार संहिता की पालना को लेकर अधिकारियों की बैठक लेने से सीकर से प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जगदीश अमरावत आये लेकिन उनकी आंखें भी खुली पडी शिलालेख पट्टिकाएं नहीं दिखी। जबकि उन्होनें मीडिया से बात करते हुए कहा कि विधानसभा चुनावों में आचार संहिता की पालना करवाने वह आये है। लेकिन उन्हें अपने विभाग के अंदर आचार संहिता का हो रहा उल्लघंन नजर नहीं आया।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

बुधवार 18 अक्टूबर, 2023

आश्विन मास, शुक्ल पक्ष, चतुरथी तिथि, बुधवार, विक्रम संवत 2080, अनुराधा नक्षत्र रात्रि 9:00 तक, आयुष्मान योग प्रात: 8:18 तक, वणिज करण दिन 1:20 तक, चन्द्रमा वृश्चिक राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-कन्या, चन्द्रमा-वृश्चिक, मंगल-तुला, बुध-कन्या, गुरू-मेष, शुक्र-सिंह, शनि-कुम्भ, राहु-मेष, केतु-तुला राशि में।

आज सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग सूर्योदय से रात्रि 9:00 तक है। रवियोग रात्रि 9:00 तक बना रहेगा। भद्रा दिन 1:20 से रात्रि 1:13 तक रहेगी। बुध तुला राशि में रात्रि 1:17 पर प्रवेश करेगा। संक्रांति पूण्यकाल पूर्वान्ह में है। आज विनायक चतुरथी माघ चतुरथी है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: लाभ-अमृत सूर्योदय से 9:22 तक, शुभ 10:47 से 12:12 तक, चर 3:02 से 4:27 तक, लाभ 4:27 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 12:00 से 1:30 तक। सूर्योदय 6:31, सूर्यास्त 5:53

मेष

पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। नवीन कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं।

वृष

परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी।

मिथुन

विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त कार्य व्यवस्थित होने लगेंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कर्क

घर-परिवार में अतिथियों के आगमन से दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो सकती है। परिवार में वाद-विवाद बढ़ सकते हैं। खान-पान के कारण स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है।

सिंह

घर-परिवार के कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। परिवार में आपसी अनबन बढ़ सकती है। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कन्या

आर्थिक मामलों में परिचितों से सहयोग मिल सकता है। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।

तुला

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है। व्यक्तिगत प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है।

वृश्चिक

व्यावसायिक कार्यों के लिए बाहर जाना हो सकता है। व्यावसायिक सुविधाएं बढ़ेगी। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा। आवश्यक कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे।

धनु

आज समय अनर्गल कार्यों में खराब हो सकता है। मन में असंतोष बना रहेगा। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि होगी। व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का ध्यान रखें।

मकर

आर्थिक/वित्तीय मामलों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों में संतुलन बना रहेगा। घर-परिवार में अतिथियों के आगमन से दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो सकती है।

कुंभ

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मीन

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। आर्थिक मामलों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। व्यावसायिक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।